

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 14 / 01 / 2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.099 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.099 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on ..14.01.2015... At ..14.01.2015... at Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्डचमोली.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि 0.378 हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.616 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.099 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/2015 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:- श्रीउपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग () अध्यक्ष

2:- श्रीउप प्रभागीय बनाधिकारी सदस्य,

3:- श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य/सचिव,

4:- श्रीबी.डी.सी. क्षेत्र पंचायतकोटी.... सदस्य,

5:- श्रीवन अधिकार समिति सदस्य, क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली)

6 श्रीमतीवन अधिकार समिति सदस्य

7 श्रीउपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग का परियोजना हेतु 1.099 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी ~~व.प्र.नि.अ.व.न.अ.ग.~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.1.0.1.2.....हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कर्णप्रयाग
जनपद — चमोली ।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-- कर्णप्रयाग
जनपद -- चमोली।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- घतोडा,

तहसील - कर्णप्रयाग, जिला- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतघतोडा.... द्वारा दिनांक06/01/2015.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



06/01/15
ज्येष्ठ उप प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सचिव.

ग्राम प्रधान- घतोडा,

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्मान बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - घतोडा,

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

1:- सर्व. श्री रघुबीर सिंह कोटिमास्

2:- " प्रताप सिंह नेगी

3:- " नन्दन सिंह कोटिमास्

4:- " अवतार सिंह नेगी

5:- " प्रेम सिंह पवार

6) महिपाल सिंह पवार

7) दिगम्बर सिंह नेगी

8) पुष्कर सिंह पवार

9) श्रीराम सिंह पवार

10) कुलदीप सिंह नेगी

11) ललित देवी

12) ललित देवी

Ramji

नन्दन सिंह

अवतार सिंह

प्रेम सिंह

महिपाल सिंह

दिगम्बर सिंह

पुष्कर सिंह

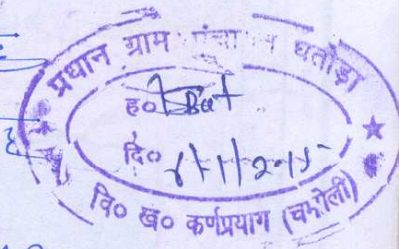
श्रीराम सिंह

कुलदीप सिंह

ललित देवी

ललित देवी

हस्ताक्षर



उपेक्ष उप प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

- 1 परियोजना का नाम— जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग के प्रस्तावित क्षेत्र के एवज में दोगुने क्षेत्र में वृक्षारोपण का 10 वर्षीय वृक्षारोपण का प्राक्कलन।
- 2 वृक्षारोपण स्थल का नाम—घतोडा सिविल।
- 3 क्षेत्रफल — $1.099 \times 2 = 2.198$ या 2.20 है०
- 4 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या— $2.20 \text{ है०} \times 2000 \text{ पौध} = 4400 \text{ पौध}$
- 5 रोपित किये जाने वाले प्रजातियाँ—बांज, फनियाट, कचनार, काफल।

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1-	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.20	है०	81.00	178.20
2	स्थल की सफाई कार्य	2.20	है०	2627.00	5779.40
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग (150 मी०प्र०है०—178.20 घ०मी०)	2.20	है०	22275.00	49005.00
4	गढढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) सेखाकन चूना सहित	4400	गढढे	5.60	24640.00
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गढढा।	4400	1.76कु०	1000.00	1760.00
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	4400	पौ०	4.40	19360.00
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य वानस्पतिक चैकडैम/स्टोनचैकडैम, वाटर हार्वेस्टिंगटैंक	2.20	है०	6446.00	14181.20
8	निरीक्षण बटिया बनाना।	2.20	है०	645.00	1419.00
9	अन्य कार्य			LS	5118.00
	योग—				121440.80
2-	द्वितीय वर्ष— रोपण कार्य—				
1	झाडी कटान (लैण्टाना गाजर घास/काला बांस)	2.20	है०	1329.00	2923.80
2	गढढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	4400	पौ०	1.00	4400.00
3	पौध दुलान कार्य	4400	पौ०	6.20	27280.00
4	पौध रोपण कार्य	4400	पौ०	1.95	8580.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य	4400	पौ०	1.33	5852.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई मलचिंग कार्य	4400	पौ०	1.15	5060.00
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	4400	पौ०	1.25	5500.00
8	वाचर(वौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 माह	2.20	7 माह	483/है०	7438.20
9	साईन बोर्ड कय	LS			1760.00
10	अन्य व्यय—	LS			2926.00
	योग द्वितीय चरण—				71720.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष चरण—				193160.80

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
3-	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वेटिंग अप) प्रति है०				
1	पाधों की लागत	440	पौ०	5.65	2486.00
2	पाधे ढुलान कार्य	440	पौ०	6.20	2728.00
3	पुनः गढढा खोदना एवं रोपण कार्य	440	पौ०	3.10	1364.00
4	गढढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	440	पौ०	1.37	602.80
5	पाधों की शीतकालीन मलचिंग	440	पौ०	1.15	506.00
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
7	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
8	अन्य व्यय			LS	9878.00
	योग तृतीय चरण-				31020.00
4-	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
	योग चतुर्थ चरण-				13455.20
5-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
	योग पंचम चरण-				13455.20
6-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
	योग षष्ठम चरण-				13455.20
7-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
	योग सप्तम चरण-				13455.20
8-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
	योग अष्टम चरण-				13455.20
9-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
	योग नवम चरण-				13455.20
10-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है०	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है०	320/है०	704.00
	योग दशम चरण-				13455.20
	योग-तृतीय चरण से दशम चरण तक				125205.00
	महा योग-				318365.80

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी दिण्डार राजि
नाग, यण्डगाड

उप जिला अधिकारी
मुंबई

21-2.A - $\frac{1}{16} \frac{1}{2048} \frac{1}{2187} = \frac{1}{16 \times 2048 \times 2187}$

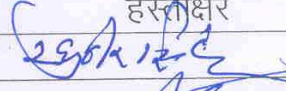
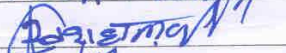
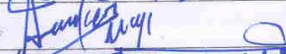
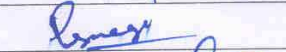
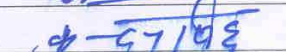
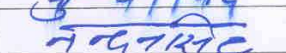
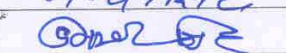
[illegible]

[Signature]
11/2/15
07/21

अनापत्ति प्रमाण पत्र कमेटी द्वारा

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 23/11/2015 को ग्राम पंचायत धौलोडा ग्राम सभा सरपंच व ग्राम सभा के ग्रामीणों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोटी बेरड से घातोडा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.61.6 हे० वन पंचायत भूमि जो लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है उक्त प्रस्तावित भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम पर हस्तान्तरण किये जाने पर वन पंचायत सरपंच एवं कमेटी के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

क्र०सं०	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
(1)	रघुवीर सिंह	
(2)	वलकटा सिंह	
(3)	पूरन सिंह	
(4)	श्यामलाल ठिह	
(5)	पुष्कर सिंह	
(6)	मानन्द सिंह	
(7)	प्रताप सिंह	
(8)	कुन्दन सिंह	
(9)	नन्दन सिंह	
10	डीगम्बर सिंह	

 सरपंच
 लक्ष्मण सिंह
 ग्राम - धौलोडा

अनापत्ति प्रमाण पत्र वन पंचायत सरपंच

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद चमोली में कोरी कण्ड से घतोडा मोटर मार्ग निर्माण :
से 6 तन्त्र निर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम.....घतोडा.....
वन पंचायत की कुल 0.4/6 हे० भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम
पर हस्तान्तरण होने में कमेटी के सदस्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया
गया है। अतः कमेटी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा
रहा है।

सरपंच
लक्ष्मण सिंह
ग्राम- घतोडा
सरपंच
ग्राम पंचायत घतोडा
(चमोली)